प्रेस नोट
दिनांक 16.07.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) द्वारा गोंडा में क्षेत्रीय निवेशक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया

पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आज दिनांक 16 जुलाई 2025 को पुलिस लाइन गोण्डा के सभागार कक्ष में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के संयुक्त तत्वावधान में एक क्षेत्रीय निवेशक जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य जनपद गोण्डा मे प्रशिक्षण प्राप्त रिक्रूट आरक्षियों एवं पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को वित्तीय साक्षरता, सुरक्षित निवेश उपायों तथा वर्तमान में बढ़ते साइबर फ्रॉड से बचाव के विषय में जागरूक करना था। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता सीएस श्रुति शर्मा, जो कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र की सेबी (SEBI) नियामक विभाग प्रभारी हैं, ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी रिक्रूट आरक्षियों एवं पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान की। उन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेश की कार्यप्रणाली, शेयर बाजार की मूलभूत संरचना, तथा वित्तीय जोखिमों के प्रबंधन जैसे जटिल विषयों को सरल भाषा में समझाते हुए बताया कि किस प्रकार एक जागरूक निवेशक बनकर सुरक्षित और दीर्घकालिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कार्यक्रम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स—जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि—के माध्यम से हो रहे नकली निवेश योजनाओं एवं साइबर धोखाधड़ी के मामलों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों को व्यावहारिक, सरल और प्रभावी बचाव उपायों से अवगत कराया गया, जिन्हें वे न केवल स्वयं अपनाएं बल्कि जनता को भी जागरूक करें। उन्होंने रिक्रूट आरक्षियों को विशेष रूप से यह प्रेरणा दी कि वे प्रशिक्षण काल से ही इन विषयों के प्रति सचेत रहें, ताकि भविष्य में वे बेहतर साइबर-साक्षर और आर्थिक रूप से जागरूक पुलिसकर्मी बन सकें।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा, प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक श्री मयंक मिश्रा, साइबर विशेषज्ञ श्री हरिओम टंडन, तथा जनपद के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.07.2025, थाना धानेपुर
जनपद गोण्डा।

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा जालसाजी करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना धानेपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-245/24, धारा 420, 467, 468, 471, 504 भादवी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त-01. प्रमोद कुमार सिंह पुत्र अवधराज सिंह निवसी ग्राम गडरही मौजा पूरेतेन्दुआ थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को उसके घर ग्राम गडरही मौजा पूरेतेन्दआ से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी फूलचन्द्र सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम गडरही मौजा पूरे तेंदुआ, थाना धानेपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना धानेपुर पर लिखित तहरीर दी गयी कि उनके पिता तीन भाई थे। उसके चाचा दुर्गा सिंह का खाता में किसी नामिनी का नाम नही था। उनके मृत्यु के पश्चात् विपक्षीगणों द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जीवाड़ा करके बैंक के मिली भगत से उनके चाचा के खाते से पैसे निकाल लिया गया। पूछताक्ष करने पर प्रार्थी को गाली गुप्ता दी गई है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना धानेपुर में मु0अ0सं0-245/24, धारा 420, 467, 468, 471, 504 भादवि बनाम प्रमोद कुमार सिंह आदि 05 के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें आज दिनांक 16.07.2025 को थाना धानेपुर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त-01. प्रमोद कुमार सिंह पुत्र अवधराज सिंह निवसी ग्राम गडरही मौजा पूरेतेन्दुआ थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना धानेपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. प्रमोद कुमार सिंह पुत्र अवधराज सिंह निवसी ग्राम गडरही मौजा पूरेतेन्दुआ थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-245/24, धारा 420, 467, 468, 471, 504 भादवि थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. प्रभारी निरीक्षक निर्भय नरायण सिंह थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।
02. हे0का0 कुशहर यादव
03. हे0का0 मनीष दूबे

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.07.2025, थाना को0नगर,
जनपद गोण्डा।

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा नशीली गोलियों के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के कुशल नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जिला चिकित्सालय गोण्डा के पीछे वाले मार्ग के पास से अभियुक्त कालिया उर्फ रफीक पुत्र सुन्दर निवासी ख़मौआ बिशुनापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 134 टेबलेट अल्प्राजोलम (नशीली गोलियां) बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 16.07.2025 को थाना को0 नगर के उ0नि0 शुभम दूबे मय फोर्स शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे । सूचना प्राप्त हुई की जिला चिकित्सालय गोण्डा के पीछे एक व्यक्ति नीशीली गोलिया बेच रहा है । उक्त सूचना पर मौके पर पहुच कर अभियुक्त कालिया उर्फ रफीक पुत्र सुन्दर निवासी ख़मौआ बिशुनापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 134 टेबलेट अल्प्राजोलम (नशीली गोलियां) बरामद किया गया। थाना स्थानीय पर गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0-555/2025, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कालिया उर्फ रफीक पुत्र सुन्दर निवासी ख़मौआ बिशुनापुर थाना कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-555/2025, धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 134 टेबलेट अल्प्राजोलम (नशीली गोलियां)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 शुभम दुबे
02. का0 मदन कुमार
03. का0 आदित्य गुप्ता

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>

<u>दिनांक 16.07.2025, थाना छपिया</u>

<u>जनपद गोण्डा।</u>

थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत स्टील/फर्नीचर की दुकान पर चोरी करने वाले चोरों को किया गया गिरफ्तार,

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालिवाल के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0- 261/2025, धारा 331(4) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित नामजद 02 आरोपी अभियुक्त 01. पवन कुमार वर्मा उर्फ हनुमान पुत्र मंगरे निवासी ग्राम भोपतपुर थाना छपिया जनपद गोंडा व 02. संदीप कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम रानीजोत मसकनवा थाना छपिया जनपद गोंडा को मौरही जाने वाली कच्चे रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री प्रमोद कुमार पुत्र रामभरोसे निवासी पूरेपाण्डेय रानीजोत मसकनवां थाना छपिया जनपद गोण्डा द्वारा थाना छपिया पर सूचना दिये कि उसका स्टील/फर्नीचर की दुकान मसकनवां बाजार में स्थित है। दिनांक 15.07.2025 की रात में दो चोर दुकान के पीछे सीढी लगाकर घुस गये थे । दुकान पर सोने वाले मिस्त्री को आहट होने पर 01 चोर को चोरी करते पकड़ लिया गया तथा दुसरा भाग गया। पकड़े गये चोर को दुकान से बाहर लेकर कर आये की वह भी चकमा देकर भाग गया। तहरीर के आधार पर थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 16.07.2025 को थाना छपिया पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाये गये आरोपी अभियुक्तों 01. पवन कुमार वर्मा उर्फ हनुमान पुत्र मंगरे निवासी ग्राम भोपतपुर थाना छपिया जनपद गोंडा व 02. संदीप कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम रानीजोत मसकनवा थाना छपिया जनपद गोंडा को मौरही जाने वाली कच्चे रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. पवन कुमार वर्मा उर्फ हनुमान पुत्र मंगरे निवासी ग्राम भोपतपुर थाना छपिया जनपद गोंडा ।
02. संदीप कुमार पुत्र विजय कुमार निवासी ग्राम रानीजोत मसकनवा थाना छपिया जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 261/2025, धारा 331(4) बी0एन0एस0 थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 रामप्रसाद
02. हे0का0 श्याम प्रकाश यादव
03. हे0का0 रामायण कुमार
04. हे0का0 विजय कुमार
05. का0 सत्येन्द्र प्रसाद

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>